बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
II संकल्प II

विषयः– केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹11048.83 लाख (एक अरब दस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रू0 मात्र) एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹3265.95 लाख (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकाय आच्छादित है। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये State Annual Action Plan (SAAP)-II पर भारत सरकार के Apex Committee की सहमति प्राप्त है। SAAP-II के अनुसार राज्य के 07 नगर निकायों में जलापूर्ति येाजना एवं दो नगर निकायों में ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इनमें से पूर्णिया जलापूर्ति योजना एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को राज्यस्तरीय तकनीकी समिति के अनुशंसा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) के समक्ष रखा गया। SHPSC द्वारा दिनांक–07.06.17 को विमर्शोपरांत उक्त जलापूर्ति योजना एवं ड्रेनेज योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। वित्त विभाग के द्वारा 20 करोड़ से अधिक लागत व्यय वाली योजनाओं को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराने का परामर्श दिया गया है। उक्त के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–20.06.2017 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–06 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

3. AMRUT योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के प्राक्कलित राशि का 50% केन्द्र सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा और 20% का वहन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	केन्द्रांश की राशि 50%	राज्यांश की राशि 30%	नगर निकाय का अंशदान 20%
1	पूर्णिया जलापूर्ति योजना	11048.83	5524.415	3314.649	2209.766
2	भागलपुर ड्रेनेज योजना	3265.95	1632.975	979.785	653.19

4. उक्त जलापूर्ति योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद (BRJP) एवं ड्रेनेज योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बुडको होगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। राज्यांश मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा।

5. AMRUT योजना के अधीन सभी योजनाओं का चयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया गया है तथा इसे संबंधित नगर निकाय के बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकाय द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिया गया है एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी दे दिया गया है।

6. जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पूर्णिया नगर निकाय क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास कर राष्ट्रीय मानक के स्वच्छ पेय जलापूर्ति किया जाना है। इस योजना को अगले 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस जलापूर्ति योजनान्तर्गत पूर्णिया नगर निकाय के लगभग 34955 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रावधान है कि योजना पूर्ण होने के उपरांत संवेदकों द्वारा अगले 5 वर्षों तक इसका रख–रखाव किया जाएगा। उसके बाद नगर निकायों द्वारा संधारण किया जाएगा।

ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत भागलपुर नगर निकाय को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने की योजना है। इसके अन्तर्गत भागलपुर नगर निकाय क्षेत्र में वर्षा जल को ड्रेनेज के माध्यम से शहर से बाहर प्रवाहित करने का प्रावधान किया गया है।

7. पूर्णिया जलापूर्ति योजना एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1.	पूर्णिया जलापूर्ति योजना	11Nos Tube wells, Storage Reserviors 7 Nos of 681 KL Capacity each Distribution Pipe line- 184.637 km HH connection - 34955 (63.82%) SCADA -yes
2.	भागलपुर ड्रेनेज योजना	Project covers ward No.- 19,20,21,22&23 length of new drain - 48.93129 KM. Length of dismantling &re construction of new drain -7.32157 KM. Length of road crossing by laying RCC Hume Pipe 4.89313 KM.

8. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹11048.83 लाख (एक अरब दस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रू0 मात्र) एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹3265.95 लाख (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/AMRUT-21-03/2015 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/AMRUT-21-03/2015 1519 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–27.6.17
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/सभी संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा के आप्त सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/2017
सरकार के प्रधान सचिव।